मंत्रिमंडल ने सीमा एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम में सेसों के उन्मूलन और विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर अधिभार के संबंध में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने के लिए संशोधन को अनुमोदित किया

Posted On: 22 MAR 2017 9:47PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंति्रमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी।

- 1. सीमा शुल्क अधिनियम,1962 में संशोधन
- 2. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 में संशोधन
- 3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1944 में संशोधन
- 4. केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम अपील, 1985
- 5. अधिनियमों के अधीन परावधानों के संशोधन या निरसन, जिसके तहत उपकर लाया जाता है

उपरोक्त पुरस्तावों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित लाभ होंगे:

सीमा शुल्क अधिनियम,1962 में धारा 108ए और 108बी के सम्मिलन में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा माल के आयात / निर्यात से संबंधित सूचनाओं को प्रस्तुत करने का प्रावधान है ताकि आयात और निर्यात में अप्रत्यक्ष / अति-मूल्यांकन के मामलों का विश्लेषण और पता लगाने, निर्यात का दुरुपयोग दोष योजना और कस्टम अधिनियम के प्रावधानों और अन्य कानूनों के उल्लंघन सहित प्रचार योजनाएं शामिल हैं जिसके अंतर्गत सीमा शुल्क अधिकारियों को इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। और

अन्य अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के संशोधन या निरसन्, जो अब जीएसटी की भूमिका के लिहाज से संगिक नहीं होंगे, परिणामस्वरूप

संविधि पुस्तक से अप्रासंगिक भागों को शुद्ध किया जाएगा और करों की बहुलता को कम किया जाएगा।

अतुल कुमार तिवारी/वी बी अरोड़ा/शाहबाज हसीबी/ वरूण शैलेष

(Release ID: 1485496) Visitor Counter: 12









in